तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य** श्री राकेश पारीक, अभिभाषक प्रार्थीगण अभिभाषक अप्रार्थी अनुपस्थित **आदेश** हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–230 न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर कैंप झूंझूनू द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–5–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। निगरानी प्रार्थना पत्र अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अप्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखंड अधिकारी नवलगढ के समक्ष बाबत् निगरानी ज्ञापन में अंकित विवादित आराजी मय प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया। उपखंड अधिकारी नवलगढ ने दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय दिनांक 16–4–05 द्वारा अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार करते हुये स्थाई निषेधाज्ञा पारीत कर दी। जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर कैंप झूंझूनू के समक्ष पेश की जिसे भू प्रबंध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर कैंप झूंझूनू ने आदेश दिनांक 11–5–05 द्वारा खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में पेश की गई है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहरात हुये बहस में कहा कि सुल्तान मृतक ने अपीलांट संख्या–2 को 10 वर्ष की उम्र में दत्तक पुत्र बना लिया था तथा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	सुल्तान अपनी मृत्यु तक अपीलांट्स के पास ही रह रहा था तथा उसका क्रियाक्रम भी उसी ने किया है। सुल्तान के 1/3 भाग की खातेदारी दत्तक पुत्र होने से अपीलांट्स संख्या–2 के नाम हो गयी थी तथा अपीलांट्स संख्या–2 भूमि का सहकृषक था जिसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती थी। किंतु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने तथ्यों से परे निर्णय पारीत किये है। अतः निगरानी स्वीकार की जावे। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली के साथ संलग्न दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का आद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया। विवादित आराजी वाद ज्ञापन में संयुक्त खातेदारी की अंकित है तथा वाद में मूल बिन्दू बाबूलाल के सुल्तान का गोदपुत्र होने का है। बाबूलाल सुल्तान का पुत्र है या सांवरमल का, जिसका निस्तारण मूल वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है जो वर्तमान में परीक्षण न्यायालय में विचाराधीन है तथा पक्षकारों के बीच विवाद सुल्तान की भूमि को लेकर है। विवादित आराजी में पक्षकारों के हक–हकूकों का निर्णय वाद में साक्ष्यो व सबूतों के आधार पर लम्बी न्यायिक प्रक्रिया के पश्चात् तय होने है। परीक्षण न्यायालय ने प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष में मानते हुये अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 स्वीकार किया है। हस्तगत् प्रकरण में भी प्रार्थीगण हमारे समक्ष ऐसा कोई तथ्य/दस्तावेज साबित करने में विफल रहे है, जिससे प्रकरण में जारी निषेधाज्ञा में हस्तक्षेप कर सके। अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत निगरानी का दायरा अत्यन्त सीमित है और दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है, जिसमें विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप अपेक्षित हो। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत निगरानी खारिज किये जाने योग्य हैं।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	परिणामतः हस्तगत निगरानी एतद्द्वारा खारिज की जाती है। पत्रावली बाद फैसल शुमार दाखिल दफ्तर की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख लौटाया जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मनोज कुमार नाग)** **सदस्य**	

निगरानी / टी.ए./ 2926 / 2005 / झुंझुंनू
सांवरमल वगैरह बनाम बालचंद वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए